आवश्यक

सं0-70/2016/1550/62-2-2016-2/4(22)/2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 29 जून,2016

विषय- अवर अभियंता, लघु सिंचाई को सहायक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार न दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय जनपदों में रिक्त सहायक अभियंता, लघु सिंचाई का अतिरिक्त प्रभार संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उस जनपद के अवर अभियंता को प्रदान किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है। प्रभार पाने वाले अवर अभियंता का प्रभार निरस्त किये जाने पर उनके द्वारा मा0 न्यायालय में वाद दाखिल किया जाता है, जिसमें शासन का पक्ष रखने पर विषम स्थिति उत्पन्न होती है।

2. अतएव सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग में शासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अवर अभियंता को जनपद में रिक्त सहायक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार न दिया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देश का कडाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-70/2016/1550(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
2- समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/प्रखण्ड, लघु सिंचाई विभाग।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in